

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

#### प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 2545] No. 2545] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 6, 2018/आषाढ़ 15, 1940

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 6, 2018/ASHADHA 15, 1940

# कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2018

का.आ. 3299(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2018 का 1) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 05 जुलाई, 2018 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 20 के उपबंध प्रवत्त होंगे।

[फा.सं. 1/1/2018-सीएल.I]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th July, 2018

**S.O. 3299(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Companies (Amendment) Act, 2017 (1 of 2018), the Central Government hereby appoints the 5<sup>th</sup> July, 2018 as the date on which the provisions of Section 20 of the said Act shall come into force.

[F. No. 1 /1 /2018-CL.I]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

3852 GI/2018